बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की तामील
12.3.22	प्रार्थी आज मय वकील [illegible] लोक अदालत के पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी [illegible] दाखिल करवाया है। लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा [illegible] प्रार्थी के [illegible] पर [illegible] [illegible], [illegible] रिकॉर्ड के आधार पर वादीगण का [illegible] स्वीकार किया जाता है, [illegible] पूर्वक [illegible] जारी [illegible] किया जाता। प्रार्थी [illegible] जारी [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:15 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 47 / 2019 तारीख दायरा 16.07.2019

उनवान

1. शिवराम उर्फ श्योराम पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी ग्राम चरेल हाल निवासी हाउसिंग बोर्ड के पास झालावाड रोड बांरा।
2. मूलचन्द पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी ग्राम चरेल हाल निवासी महावीर नगर तृतीय कोटा जिला कोटा।
3. नन्दकंवर बाई पुत्री मोहनलाल पत्नी नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी हाल मुकाम नोहल्या तहसील अटरू जिला बांरा। – वादीगण

बनाम

1. बिरधीलाल पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी ग्राम चरेल तह0 सांगोद।
2. जानकीलाल पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा।
3. जुगलकिशोर पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी संतोषी नगर कोटा।
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र नेमीचन्द जाति धाकड।
5. हरीश पुत्र नेमीचन्द जाति धाकड।
6. अयोध्या बाई पत्नी नेमीचन्द जाति धाकड निवासीगण रंगबाडी कोटा जिला कोटा।
7. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 आर. टी. एक्ट</u>

उपस्थित :– दिनांक :– 12.03.2022

श्री किशोरी लाल चौधरी (वकील वादी)

श्री दशरथ सिंह (वकील प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम चरेल पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 154 के खसरा नं0 556 की 1.96 हैक्टर, खसरा नं0 731 की 1.16 हैक्टर, खसरा नं0 816 की 1.20 हैक्टर, खसरा नं0 834 की 0.51 हैक्टर कुल 4 किता की 3.83 हैक्टर आराजी स्थित है।

वादीगण वर्तमान में बाहर निवास करते हैं परन्तु समय–समय पर आकर अपने हिस्से को काश्त करते रहते हैं और कभी–कभी प्रतिवादी क्रम 1 को मुनाफे काश्त पर व पांती काश्त पर भी देते रहते हैं। इस वर्ष भी वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी को हांक जोतकर बुवाई के लिए तैयार कर रखा है। आज से 4 दिन पहले वादीगण अपने हिस्से की आराजी की बुवाई करने के लिए गये तो प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा बुवाई करने से मना कर दिया और कहा कि सम्पूर्ण आराजी को मैं अकेला ही काश्त करूंगा, तुम्हे काश्त नहीं करने दूंगा। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है।

वादीगण अपने हिस्से की आराजी का विधिवत बंटवारा कराना चाहते हैं ताकि वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर कृषि ऋण प्राप्त कर सकें, उसका अलग से विकास कर सकें, जिसके लिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादी क्रम 1 ने बंटवारा करने से मना कर दिया और कहा कि अदालत से करवा लो। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 जबरन वादीगण के हिस्से की आराजी को भी जबरन हड़प करना चाहता है और वादीगण को उनकी आराजी से वंचित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त आराजी में बराबर–बराबर का हिस्सा निहित है और हिस्से अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काश्त करते चले आ रहे हैं।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की आराजी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा करवाने के लिए कहने पर प्रतिवादीगण तैयार नहीं होने व वादीगण द्वारा अपने हिस्से को प्रतिवादी क्रम 1 को मुनाफे काश्त पर देने से मना करने पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जबरन कब्जा करके काश्त करने की धमकी देने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वाद कारण पैदा हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि :-

माल ग्राम चरेल पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 154 के खसरा नं0 556 की 1.96 हैक्टर, खसरा नं0 731 की 1.16 हैक्टर, खसरा नं0 816 की 1.20 हैक्टर, खसरा नं0 834 की 0.51 हैक्टर कुल 4 किता की 3.83 हैक्टर आराजी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर आराजी का विभाजन किया जाकर वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे तथा उक्तानुसार राज लगान पृथक से अंकन करके राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे, कि प्रतिवादी नं0 1 विवादित आराजी का बिना विधिवत बंटवारा करवाये आराजी को खुर्द–बुर्द, हस्तान्तरण आदि नहीं करे तथा वादीगण को उनके शांति पूर्वक हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत–मजामहत नहीं करें। उक्त कृत्य न ता प्रतिवादी क्रम 1 स्वयं करें और ना ही अपने किन्हीं नौकरों व एजेन्टों से ऐसा करावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से वकील श्री दशरथ सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। इसके पश्चात पक्षकारान ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। वादीगण की पहचान वकील वादी ने तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। राजीनामा तस्दीक किया जाकर उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई। प्रकरण में सरकार पैरोकार फॉर्मल पक्षकार है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, नकल, जमाबंदी, राजस्व रेकार्ड, राजीनामा आदि के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

माल ग्राम चरेल पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 154 के खसरा नं0 556 की 1.96 हैक्टर, खसरा नं0 731 की 1.16 हैक्टर, खसरा नं0 816 की 1.20 हैक्टर, खसरा नं0 834 की 0.51 हैक्टर कुल 4 किता की 3.83 हैक्टर आराजी में पक्षकार को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है :–

अ. वादी सं. 1 शिवराम उर्फ श्योराम के हिस्से में आई आराजी –

माल ग्राम	खाता सं.	ख.न.	रकबा हैक्टर
चरेल	नई 160	834	0.51 हैक्टर संपूर्ण

ब. वादी सं. 2 मूलचन्द के हिस्से में आई आराजी –

माल ग्राम	खाता सं.	ख.न.	रकबा हैक्टर
चरेल	नई 160	816	1.20 है. में से 0.60 है. पूर्वी तरफ की

स. वादी सं. 3 नन्दकंवरबाई के हिस्से में आई आराजी –

माल ग्राम	खाता सं.	ख.न.	रकबा हैक्टर
चरेल	नई 160	556	1.96 है. में से 0.49 है. दक्षिणी पूर्वी

द. प्रतिवादी सं. 1 बिरधीलाल के हिस्से में आई आराजी –

माल ग्राम	खाता सं.	ख.न.	रकबा हैक्टर
चरेल	नई 160	556	1.96 है. में से 0.49 है. उत्तरी पश्चिमी

य. प्रतिवादी सं. 2 जानकीलाल के हिस्से में आई आराजी –

माल ग्राम	खाता सं.	ख.न.	रकबा हैक्टर
चरेल	नई 160	556	1.96 है. में से 0.49 है. पश्चिमी दक्षिणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

र. प्रतिवादी सं. 3 जुगलकिशोर के हिस्से में आई आराजी –

माल ग्राम	खाता सं.	ख.न.	रकबा हैक्टर
चरेल	नई 160	816	1.20 है. में से 0.60 है. पश्चिमी तरफ की
		731	0.16 है. संपूर्ण

कुल 2 किता की कुल 0.76 है. आराजी

ल. प्रतिवादी सं. 4,5,6 चन्द्रप्रकाश, हरीश, अयोध्याबाई के हिस्से में आई आराजी –

माल ग्राम	खाता सं.	ख.न.	रकबा हैक्टर
चरेल	नई 160	556	1.96 है. में से 0.49 है. पूर्वी उत्तरी

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में खाता विभाजन कर राज लगान का अंकन पृथक से किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:15 IST
Reason: SelfAttested